दां.प्रकी.(जमा.) 4468/2004

**08.12.2004**

**माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार**

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.एन.मोहनानी,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त भेराराम को ड्राईवर बताया गया है, उसके विरूद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं है। गांव के बाहर छोड़कर यह मौके से आ गया है जो मोती व सीता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानो से स्पष्ट है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 147, 148, 323, 324, 354, 365, 458 व 376 भा.दं.सं. के तहत चार्जशीट पेश की गई है। धारा 376 (2)(जी) भा.दं.सं. का कोई आरोप नहीं है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि अन्य अभियुक्तगण के साथ जिसमें अभियोक्त्री मोती व सीता के पति रामा पुत्र नेमाजी व रेंगा भी साथ थे। अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर मुस्तगीस के घर पर गए, उनके साथ मारपीट की और जबरन दोनों लड़कियों को लेकर गए हैं अत: इन्होंने भी बलात्कार करने में मदद की है, अत: जमानत स्वीकार नहीं की जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। यह अभियुक्त जीप का ड्राईवर होना

बताया गया है और इसका भी घर में जाकर लड़कियों को उठाना बताया गया है। मोती और सीता दोनों ही रामा व रेंगा की शादीशुदा लड़किया है, यह अभियुक्त गांव में जीप में छोड़ने के बाद चला गया है। इस स्टेज पर गुणावगुण पर राय नहीं देते हुए, , प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी भेराराम पुत्र भूराराम योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)**

जी.एन.शर्मा